न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

कमांक/वि.अ./199/2021/टोंक

विभागीय अपील द्वारा श्री दिनेश कुमार पारीक तत्कालीन भू.अ.निरीक्षक वृत करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई हाल तहसील मालपुरा जिला टोंक विरूद्ध आदेश कमांक भू.अ.–6एफ( ) निवाई वि.जा/2021/7564–7571 दिनांक 13–9–2021 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 (1) के अन्तर्गत तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलम्बन अवधि के दौरान अपचारी कर्मचारी का मुख्यालय उपखण्ड कार्यालय मालपुरा रखा गया है।

उपस्थितः–1. श्री दिनेश कुमार पारीक तत्कालीन भू.अ.निरीक्षक करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई हाल उपखण्डकार्यालय मालपुरा जिला टोंक मय अधिवक्ता

2. श्री मूलचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी

3. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक जिला कलक्टर, टोंक

निर्णय

दिनांकः– 14-12-2021

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 (5) के अन्तर्गत जिला कलक्टर, टोंक के द्वारा पारित निलम्बन आदेश दिनांक 13–9–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 18–10–2021 को एक ज्ञापन अन्तर्गत नियम 16 सीसीए मय आरोप पत्र भी जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

यह कि ऑनलाईन आवेदन पत्र सं. एल.सी/2020–21/202751 दिनांक 24–4–2021 मै0 संजीवनी अफोर्डेबेल होम्स प्रा0लि0 जयपुर द्वारा निदेशक श्री सुनील माहेशवरी बाबत ग्राम भुरड़िया तहसील निवाई में स्थित खातेदारी भूमि

Scanned with CamScanner

खसरा नम्बर 634, 1240, 1242 किता 3 रकबा 15–15 बीघा भूमि का अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के संदर्भित प्रकरण में आप द्वारा दिनांक 29–6–2021 को की गई मोका जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि " आवेदित भूमि पर से कोई हाईपावर विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है" तथा पत्रावली में रिपोर्ट के साथ संलग्न ले–आउट में आवेदित भूमि पर हाई पावर विद्युत लाईन को दर्शाया हुआ है। उपखण्ड अधिकारी निवाई के पत्र दिनांक 10–8–2021 के बिन्दु संख्या 4 में उक्त भूमि पर से हाई पावर विद्युत लाईन गुजरने का स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार आपको पूर्ण जानकारी थी कि उक्त भूमि पर से हाई पावर लाईन गुजर रही है फिर भी आप द्वारा आवेदक को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से जानबूझकर गलत रिपोर्ट की गई जिसके लिए आप दोषारोपित है।

आरोप संख्या– 2

यह कि आप द्वारा संपरिवर्तन हेतु प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि "आवेदित भूमि के लगवा शाहजहांपुरा बांध बना हुआ है, जो ग्राम हरभांवता के सिंचाई के रूप में काम आता है तथा आवेदित भूमि बहाव क्षेत्र से बाहर है"। साथ ही अंकित किया है कि " आवेदित भूमि से किसी तालाब, नदी एवं नाला आदि के पानी से अवरोध नहीं होगा"। जबकि उपखण्ड अधिकारी निवाई से प्राप्त रिपोर्ट में " आवेदित भूमि उक्त बांध के डूब क्षेत्र व बहाव क्षेत्र में अवस्थित होना एवं आवेदित भूमि में बांध का डूब क्षेत्र बहाव क्षेत्र होने से पानी एकत्रित होता है" अंकित किया है। इस प्रकार आपको आवेदित भूमि के डूब क्षेत्र व बहाव क्षेत्र में होने की जानकारी होते हुए भी आप द्वारा दुर्भावनापूर्वक आवेदक को अनुचित लाभ पहुचने की नियत से जानबूझकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर उच्चाधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार आप द्वारा गलत रिपोर्ट अंकित की गई है जिसके लिए आप दोषारोपित है।

आरोप संख्या– 3

यह कि आप द्वारा संपरिवर्तन हेतु प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि आवेदित भूमि एन.एच 11 ए से 15 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित है जबकि उपखण्ड अधिकारी, निवाई से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 10–8–2021 के अनुसार आवेदित भूमि एन.एच. 11 ए से 3.0 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित है। इस प्रकार आपने जानबूझकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर राजकीय कार्य के प्रति लापरवाही बरती है जिसके लिए आप दोषारोपित है।

Scanned with CamScanner

आरोप संख्या– 4

यह कि आप द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट में आवेदित भूमि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 8–10–2007 में वर्णित निर्देशों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होने का उल्लेख किया गया है, जबकि उपखण्ड अधिकारी, निवाई से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 8–10–2007 में वर्णित निर्देशों के परिपेक्ष्य में आवेदित भूमि प्रस्तावित उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार आपको स्पष्ट जानकारी थी कि प्रस्तावित भूमि बांध के डूब क्षेत्र, बहाव क्षेत्र में अवस्थित होने एवं हाईटेंशन लाईन गुजरने से संपरिवर्तन योग्य नहीं है। फिर भी आप द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर उच्चाधिकारियों को गुमराह किया गया तथा आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। आपका यह कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। इस प्रकार आप द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन न करके आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से गलत मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके लिए आप दोषारोपित है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर टोंक के निलंबन आदेश दिनांक 13–9–2021 के विरूद्ध एक अपील सीसीए नियम 1958 के नियम 13(5) के अन्तर्गत दिनांक 5–10–2021 को प्रस्तुत की गई। बाद सुनवाई स्थगन प्रार्थना पत्र आरजी तौर पर (अस्थाई तौर पर) स्वीकार किया जाकर जिला कलक्टर, टोंक को आदेश दिये गये कि अपीलाधीन विवादित आदेश दिनांक 13–9–2021 की पालना व क्रियान्विति (Operation) को अपीलार्थी के निलंबन के संबंध में एवं निलंबन के दौरान निर्धारित मुख्यालय के संबंध में आगामी आदेश तक स्थगित रखा जाता है। इस कार्यालय द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 13–9–2021 पारित करने के बाद अपीलार्थी श्री दिनेश कुमार पारीक भू.अ.निरीक्षक करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक के विरूद्ध जिला कलक्टर, टोंक के द्वारा उनके कार्यालय के पत्र कमांक भू.अ.–6 एफ ( )निवाई/विजा/2021/8083 दिनांक 18–10–2021 को निलंबन आदेश पर अन्तरिम आदेश से रोक होने के बावजूद भी उक्त आदेश को स्थगित नहीं किया जाकर आरोप पत्र जारी किये गये है जो कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। जिला कलक्टर (भू.अ.) टोंक के निलंबन आदेश कमांक भू.अ.–6एफ( )वि.जा/2021/7564–7571 दिनांक 13–9–2021 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी कर्मचारी भू.अ करेड़ा बुजुर्ग को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर (भू.अ.) टोंक का रेकार्ड व

Scanned with CamScanner

टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलार्थी अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी व उनके विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपने लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर बहस में कथन किया कि जिला कलक्टर, टोंक ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–10–2021 की अनुपालना नहीं की है एवं अपीलाधीन विवादग्रस्त आदेश दिनांक 13–9–2021 को स्थगित नहीं कर अपलार्थी को पूर्ववत ही निलम्बित रखा गया है तथा निलंबन के दौरान निर्धारित मुख्यालय भी नहीं बदला है। इस प्रकार माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना जानबूझकर नहीं की गई है जो अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है।

उनका यह भी तर्क है कि विवादित मौका रिपोर्ट में बिजली की हाईटेंशन लाईन की रिपोर्ट नहीं करने बाबत जो बात कही गयी है, के संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि पक्षकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न ब्ल्यू प्रिंट मानचित्र में यह लाईन दर्शायी हुई थी, इसी कारण पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया एवं अपलार्थी ने मात्र पटवारी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर उसे तहसीलदार को अग्रेषित कर दिया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का दौराने बहस यह भी तर्क था कि आवेदक द्वारा उनके प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित ले–आउट प्लान "संजीवनी शगुन" राजस्व ग्राम भूरटिया तहसील निवाई जिला टोंक के खसरा नम्बर 634, 1240, 1242 में 12.19 मीटर तथा 12.19 मीटर भूमि दो सड़को के लिए तथा ग्रीन कॉरिटोर 1183.58 वर्ग मीटर छोड़कर आवासीय प्लाटिंग की हुई हैं। दोनों सड़कों के लिए छोड़ी गई भूमि के बीच में हाईटेंशन लाईन है जो ग्रीन कॉरिडोर के ऊपर से गुजर रही है। इस प्रकार हाईटेंशन लाईन का प्रस्तावित योजना के भूखण्डो पर कोई प्रभाव नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पटवारी हलका ने जो मौका रिपोर्ट तैयार की थी उस पर अपीलार्थी ने मात्र अपने हस्ताक्षर किये थे। इस मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार निवाई ने भी तथ्यों की पुष्टि की है।

उनका यह भी कथन है कि प्रस्तावित भूमि डूब क्षैत्र भराव क्षेत्र में होने संबंधी तथ्य भी झूंठे एवं मनगंढत है। इस बारे में अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना, देवली से जिला कलक्टर ने रिपोर्ट तलब की, जो उनको दिनांक 7–9–2021 को प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट में उक्त भूमि के बारे में दो परस्पर विरोधी रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध है। एक रिपोर्ट पटवारी–गिरदावर–तहसीलदार के माध्यम से की थी एवं दूसरी रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी निवाई की थी। इन दोनों रिपोर्ट की सत्यता बाबत सूचना अतिरिक्त

Scanned with CamScanner

कलक्टर (पुनर्वास) से चाही गई थी। अतिरिक्त कलक्टर (पुनर्वास) द्वारा जो रिपोर्ट भेजी है उसमें विवादित आराजी डूब क्षेत्र भराव क्षेत्र में होना व्यक्त नहीं किया है। जहां तक केचमेंट एरिया का प्रश्न है वह इस प्रकारण में अप्रासंगिक है। केचमेंट एरिया काफी विस्तृत होता है एवं उसमें कई खसरा नम्बर होते है।

उनका यह भी तर्क है कि माननीय न्यायालय द्वारा निलम्बन आदेश दिनांक 13–9–2021 पर दिये गये स्थगन आदेश दिनांक 5–10–2021 की प्रतिलिपि जिला कलक्टर टोंक के कार्यालय में दिनांक 6–10–2021 को प्रस्तुत कर दिये जाने के बावजूद भी अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को आरोप पत्र जारी कर दिये गये। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 15–9–2021 को नायब तहसीलदार, निवाई के पद पर लगाया गया था एवं पुनः राजस्व मण्डल में दिनांक 29–9–2021 को नायब तहसीलदार पद पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया। उक्त दिगर व्यक्ति को जिला कलक्टर टोंक ने दिनांक 8–10–2021 को नायब तहसीलदार, निवाई के पद पर कार्यग्रहण करवा दिया जबकि अपीलार्थी ने दिनांक 6–10–2021 को ही माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत कर दी थी। जिला कलक्टर, टोंक को चाहिए था कि वे राजस्व मण्डल से नायब तहसीलदार की डबल पोस्टिंग होने पर राजस्व मण्डल से मार्गदर्शन प्राप्त करते। माननीय न्यायलय से जारी स्थगन आदेश दिनांक 5–10–2021 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि "अपीलाधीन विवादग्रस्त आदेश दिनांक 13–9–2021की पालना व कियान्विति को अपीलार्थी के निलंबन के संबंध मं एवं निलंबन के दौरान निर्धारित मुख्यालय के संबंध में आगामी आदेश तक स्थगित रखा जाता है"। उक्त आदेशको न मानकर अपीलार्थी को गिरदावर पद पर भी पदस्थान करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई में नहीं रख कर मुख्यालय मालपुरा कर दिया गया तथा करेड़ा बजुर्ग में एकअन्य आदेश जारी कर स्थगन आदेश के बाद अन्य गिरदावर को कार्यग्रहण करा दिया जो प्रत्यक्ष रूप से स्थगन आदेश की अवहेलना है।

उनका यह भी तर्क है कि माननीय अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थगन आदेश के बावजूद भी अपीलार्थी को नियम 1958 के तहत आरोप पत्र व आरोप विवरण नियम 16 सीसीए के तहत दिनांक 18–11–2021 को जारी कर दिये जबकि अपीलार्थी ने स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति जिला कलक्टर, टोंक को दिनांक 6–10–2021 को ही पेश कर दी थी। अतः यह सी.सी.ए. नियम 16 के तहत जारी आरोप पत्र भी निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि उक्त समान प्रकरण में जिला कलक्टर टोंक ने पटवारी व अपीलार्थी भू.अ.निरीक्षक को निलंबित किया था परन्तु उनके कार्यालय के आदेश कमांक 8072 दिनांक 18–11–2021 के द्वारा पटवारी का निलंबन रद्द कर उसे बहाल किया जा चुका है तथा अपीलार्थी के निलंबन पर कोई निर्णय नहीं

Scanned with CamScanner

लिया गया है। अपीलार्थी को दिनांक 13–9–2021 को निलंबित किया गया था जो माननीय न्यायलय द्वारा स्थगित है फिर भी आज दिनांक तक न तो अपीलार्थी को वेतन दिया गया है और न ही निलंबनकाल में मिलने वाला निर्वाह भत्ता ही दिया गया है जिससे यह सिद्ध होता है कि जिला कलक्टर टोंक द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध समस्त कार्यवाही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर की गई है।

अपीलार्थी व उनके अधिवक्ता द्वारा दौराने व्यकितगत सुनवाई/बहस यह कथन किया गया कि राजस्व मण्डल द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 15–9–2021 को नायब तहसीलदार निवाई के पद पर लगाया गया था एवं पुनः राजस्व मण्डल ने दिनांक 29–9–2021 को नायब तहसीलदार पद पर किसी अन्य व्यक्ति को लगा दिया। इस दीगर व्यक्ति को जिला कलक्टर, टोंक ने दिनांक 8–10–2021 को निवाई नायब तहसीलदार के पद पर कार्यग्रहण कराया जबकि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 6–10–2021 को ही श्रीमान का स्थगन आदेश जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर को चाहिए था कि वह राजस्व मण्डल से नायब तहसीलदार कि डबल पोशटिंग हो जाने के कारण मण्डल से मार्गदर्शन प्राप्त करते क्योकि स्थगन आदेश दिनांक 5–10–2021 में यह स्पष्ट निर्देश है कि "**अपीलाधीन विवादग्रस्त आदेश दिनांक 13–9–2021 की पालना व कियान्विती को अपीलार्थी के निलम्बन के संबंध में एवं निलम्बन के दौरान मुख्यालय के संबंध में आगामी अदेश तक स्थगित रखा जाता है।**" इसके अतिरिक्त अन्तरिम आदेश को न मानकर अपीलार्थी को गिरदावर पद पर भी पदस्थापन स्थान करेड़ा बुजुर्ग, तहसील निवाई में नही रखा गया एवं उनका मुख्यालय मालपुरा कर दिया गया। साथ ही करेड़ा बुजुर्ग में एक अन्य आदेश जारी कर, बावजूद स्थगन आदेश के, एक अन्य गिरदावर को कार्यग्रहण करवा दिया गया जो कि प्रत्यक्ष रूप से स्थगन आदेश कि अवहेलना व अवमानना की श्रेणी में आता है।

उनका यह भी कथन है कि "संजीवनी शगुन" परियोजना नामंजूर भी हो चुकी है। अपीलार्थी द्वारा तस्दीक संयुक्त मौका रिपोर्ट से राज्य सरकार को कोई हानि कारित नहीं हुई है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित निलंबन आदेश दिनांक 13–9–2021 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को नायब तहसीलदार के पद पर पुनः पदस्थापित किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में एक न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. (एस.सी.) 2016 पृष्ठ 544 प्रस्तुत कर अन्तरिम आदेश दिनांक 5–10–2011 की अवहेलना/अवमानना बाबत अलग से जिला कलक्टर, टोंक के विरूद्ध अवमानना कार्यवाही किये जाने का भी निवेदन किया गया

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर टोंक से टिप्पणी प्राप्त की गई। उनकी ओर से नियुक्त राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिये कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो भी कार्यवाही अमल में लाई गई वह विभागीय नियमो के अन्तर्गत की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के पैरा संख्या 2(4) में वर्णित कथन आंशिक रूप से स्वीकार है। मैं0 संजीवनी अर्फोडेबल होम्स प्रा0 लि0 जयपुर द्वारा उनके निदेशक श्री सुनील माहेश्वरी ने ग्राम भूरटिया तहसील निवाई में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 634 के कोने पर लगभग 10 बिस्वा भूमि पर से हाईटेंशन विद्युत लाईन गुजरने से उक्त हाईटेंशन लाईन से प्रभावित रकबे को खसरा नम्बर 634 में से घटाकर शेष रकबे को संपरिवर्तन करने हेतु प्रस्तावित करना चाहिए था। अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 634 के सम्पूर्ण रकबे को संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित कर प्रार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जो अनुचित है। इस कारण जिला कलक्टर टोंक द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13–9–2021 द्वारा खातेदारी कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के संबंध में गलत मौका जांच रिपोर्ट करने तथा राजकार्य में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में विभागीय जांच प्रारम्भ करने का निर्णय लेकर राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से निलंबित करने का आदेश पारित किया गया जो विधिसम्मत है।

राजकीय अधिवक्ता का यह कथन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के पैरा संख्या 2 (4) में वर्णित कथन आंशिक स्वीकार है। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में पटवारी द्वारा की गई मौका रिपोर्ट की जांच कर अपने पर्यवेक्षकीय दायित्व का निर्वहन किया जाना चाहिए था परन्तु उन्होंने पटवारी रिपोर्ट को सही मानकर पदीय दायित्वों का निर्वहन किये बिना ही मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिये जो कि अनुचित है। इससे प्रतीत होता है कि अपलार्थी द्वारा आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी कथान कि अपीलार्थी द्वारा केचमेंट एरिया से संबंधित रिपोर्ट सिचाई विभाग से लिये बिना ही प्रकरण में मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि "आवेदित भूमि में किसी नदी, तालाब, नदी नाला आदि में पानी की आवक में अवरोध नहीं होगा" यह रिपोर्ट अनुचित है। अपीलार्थी को अपने पदीय दायित्व व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु विभागीय नियमानुसार ही कार्यवाही आदि सम्पादित किया जाना आवश्यक होता है। इसके अभाव में अपलार्थी द्वारा जो कार्यवाही सम्पादित की गई है वह दूषित है व आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने की बदनियती से की गई है।

Scanned with CamScanner

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा संपरिवर्तन हेतु आवेदक से प्राप्त ब्ल्यू प्रिन्ट अनुसार ही मौका रिपोर्ट में विद्युत हाईटेंशन लाईन का उल्लेख करना था, जिसके स्थान पर उन्होंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये ब्ल्यू प्रिन्ट में विद्युत लाईन प्रदर्शित करने के उपरान्त भी मौका रिपोर्ट में अंकित नहीं करने से प्रतीत होता है कि अपलार्थी ने जानबूझकर नियमों की जानकारी होते हुए भी आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है जो नियमों के विपरीत है।

राजकीय अधिवक्ता का यह तर्क है कि मैं संजीवनी अर्फोडेबल होम्स प्रा0लि0 जयपुर द्वारा उनके निदेशक श्री सुनील माहेश्वरी द्वारा ग्राम भूरटिया तहसल निवाई में स्थित आवेदित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 634 को संपरिवर्तन किये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा गलत मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के फलस्वरूप यदि प्रकरण में खसरा नम्बर 634 का संपरिवर्तन आदेश जारी हो जाता तो भविष्य में जनहानि/राजहित प्रभावित होने की संभावना बनी रहती जिसके लिए अपीलार्थी दोषी है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त संपरिवर्तन प्रकरण मं अपनी मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व जलग्रहण क्षेत्र (केचमेंट एरिया) के संबंध में सिचाई विभाग से रिपोर्ट ली जानी थी परन्तु अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कोई रिपोर्ट सिचाई विभाग से नहीं ली गई जो अनुचित है। अपीलार्थी द्वारा संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि की दूरी एन.एच. 11ए से दूरी 3.0 कि.मी. के स्थान पर 1.5 कि.मी. अंकन कर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा मौका जांच रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है कि उक्त संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि राज्य सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 8–10–2007 में वर्णित निर्देशों के परिपेक्ष्य में उपयुक्त है जबकि परिपत्र में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं कर आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है जो सर्वथा अनुचित है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो भी विभागीय कार्यवाही की गई है वह नियमानुसार की गई है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा अपने पद पर पदस्थापित रहते हुए खातेदारी कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के संबंध में गलत मौका जांच रिपोर्ट करने तथा राजकार्य में बरती गई अनियमितताओं के फलस्वरूप जिला कलक्टर टोंक द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 13(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को निलंबित किया जाकर इनका मुख्यालय उपखण्ड

Scanned with CamScanner

अधिकारी मालपुरा किया गया था। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी व उनके विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर (भू.अ.) टोंक द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्यो का गहराई से अध्ययन व मनन तथा राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब व बहस पर गौर करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि अपचारी कर्मचारी पर यह आरोप लगाया जाकर कि उनके द्वारा विवादग्रस्त आराजी का कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने की गलत मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर अपीलार्थी को जिला कलक्टर, टोंक द्वारा दिनांक 13–9–2021 को निलंबित किया गया था। उक्त निलंबन आदेश दिनांक 13–9–2021 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की जिसकी गम्भीरता को देखते हुए निलंबन आदेश की कियान्विति को आगामी आदेश तक स्थगित रखे जाने के अन्तरिम आदेश दिनांक 5–10–2021 को पारित किये गये थे। जिला कलक्टर (भू.अ.) टोंक को इस अन्तरिम आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 6–10–2021 को ही अपीलार्थी के माध्यम से प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी जिला कलक्टर द्वारा उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक 5–10–2021 की पालना नहीं कर इसके विपरित जाकर अपीलार्थी को दिनांक 18–10–2021 को आरोप पत्र मय ज्ञापन जारी कर दिये जो कि न्यायालय के आदेश की स्पष्टत्या अवहेलना है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर/न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. (एस.सी.) 2016 पृष्ठ 544 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में यह आदेशित किया गया है कि न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की पालना किया जाना अति आवश्यक है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जो मौका रिपोर्ट पटवारी हलका द्वारा दिनांक 29–6–2021 को जारी की गई इस मौका जांच रिपोर्ट मे पटवारी द्वारा विवादित भूमि का संपरिवर्तन करने बाबत बिन्दुवार टिप्पणी अंकित की गई है जिसे अपचारी कर्मचारी द्वारा ज्यों की त्यों ही हस्ताक्षर कर तहसीलदार, निवाई को अग्रेषित कर दी गई थी। तहसीलदार, निवाई ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 559 दिनांक 16–7–2021 के द्वारा उक्त रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी निवाई को प्रेषित की थी जिसमें बिन्दु संख्या 4 में उल्लेखित है कि आवेदित भूमि में किसी तालाब, नदी नाला आदि में पानी की आवक में अवरोध नहीं होगा। उक्त भूमि पर से कोई हाई पाव विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है। इसके विपरीत उपखण्ड

Scanned with CamScanner

अधिकारी, निवाई ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 3243 दिनांक 10–8–2021 में उल्लेख किया है कि तहसीलदार, निवाई से प्राप्त जांच रिपोर्ट संतोषप्रद नहीं होने से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वयं पटवारी हलका के साथ दिनांक 10–8–2021 को मौका निरीक्षण किया गया। किन्तु उक्त पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी, निवाई की मौका रिपोर्ट संलग्न नहीं है। उनके द्वारा किस अधिकारी की आज्ञा से, किसके सामने व कब मौका निरीक्षण किया गया और कौन–कौन अधिकारी उनके साथ थे इसका भी उल्लेख उनके पत्र में नहीं है इससे उक्त रिपोर्ट सन्देहास्पद एव द्वेषतापूर्वक की गई प्रतीत होती है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त समान प्रकरण में एक ही संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट में पटवारी हलका हरभांवता व अपीलार्थी दोंनों को एक साथ निलंबित किया गया था। पटवारी हलका को तो जिला कलक्टर, टोंक द्वारा उनके आदेश क्रमांक 8072 दिनांक 18–10–2021 द्वारा बहाल किया जा चुका है और अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 सीसीए के तहत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर अपीलार्थी के नाम दिनांक 18–10–2021 को ज्ञापन जारी कर दिया गया जबकि जिला कलक्टर (भू.अ.) टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 13–9–2021 द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया था, को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 5–10–2021 को ही उक्त आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी गई थी इसके बावजूद अपीलार्थी को ज्ञापन मय आरोप पत्र दिनांक 18–10–2021 को जारी किया गया है जो पुर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण स्वतः ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी के इस प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 सीसीए के तहत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी करने की कार्यवाही किये जाने से पूर्व जिला कलक्टर, टोंक को प्रकरण में प्राथमिक जांच करानी थी एवं प्राथमिक जांच में अपीलार्थी के दोषी पाये जाने पर ही 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही की जानी थी। उन्होंने कोई प्राथमिक जांच भी मामले में नही करवायी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 सीसीए के तहत कार्यवाही केवल रिकार्ड में हेराफेरी, गम्भीर दुराचरण तथा रिश्वत के मामले में ही की जाती है। अपीलार्थी द्वारा केवल पटवारी हलका हरभांवता की मौका जांच रिपोर्ट पर ज्यो का त्यो हस्ताक्षर ही किया है तथा उक्त मौका रिपोर्ट को तहसीलदार, निवाई को भी

Scanned with CamScanner

अग्रेषित की थी जिसमें तहसीलदार, निवाई द्वारा उपखण्ड अधिकारी, निवाई को प्रेषित रिपोर्ट में कोई भी विपरीत टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा अपलार्थी से द्वेषतापूर्वक विपरीत रिपोर्ट जिला कलक्टर, टोंक को प्रेषित कर दिया जाना प्रतित होता है क्योकि उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट के साथ कोई मौका रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है जिससे उपखण्ड अधिकारी, निवाई की रिपोर्ट की सत्यता स्पष्ट हो सके। जब आवेदक द्वारा प्रस्तुत ''संजीवनी शगुन'' परियोजना ही नामंजूर हो गई है तो अपीलार्थी द्वारा पटवारी हलका व भू–अभिलेख निरीक्षक की संयुक्त मोका जांच रिपोर्ट से न तो किसी आवेदनकर्ता को अनुचित लाभ हुआ है और न ही राज्य सरकार को किसी प्रकार की कोई हानि ही हुई है। ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी को जारी आरोप पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य हो जाते है। उपरोक्त स्थिति में जिला कलक्टर (भू.अ.) टोंक द्वारा अपने आदेश क्रमांक भू.अ.–6एफ( )वि.जा/2021/7564–7571 दिनांक 13–9–2021 द्वारा अपीलार्थी श्री दिनेश पारीक भू.अ.निरीक्षक करेड़ा बुजुर्ग हाल उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के नाम जारी निलंबन आदेश व राजस्थान सिविल सेवा (वर्गकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 सीसीए के तहत दिनांक 18–10–2021 को जारी आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र विधि के प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर (भू.अ.) टोंक द्वारा पारित निलम्बन आदेश क्रमांक भू.अ.–6एफ( )वि.जा/2021/7564–7571 दिनांक 13–9–2021 व राजस्थान सिविल सेवा (वर्गकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 सीसीए के तहत दिनांक 18–10–2021 को जारी आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र विधिसम्मत नहीं होने व प्राकृति न्याय के सिद्धान्त के भी सर्वथा विपरीत एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रतीत होने से अपास्त किये जाते हैं। अपीलार्थी को निलंबित अवधि के वेतन भत्ते नियमित रूप से मय समस्त परिलाभ के देय होंगे। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(डॉ0 वीना प्रधान),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with CamScanner